315

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्यप्रदेश

राजस्व निगरानी /2018

PBR/निगरानी/उज्जैन/भू.रा/2018/0319

श्री लखन सिंह धाकड़ एड. द्वारा आज दि. 11/01/18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 7-2-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 11-1-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

1- नर्मदाबाई उर्फ निर्मलाबाई पिता हीरासिंह जी जाति राजपूत रघुवंशी आयु 74 साल धंधा कृषि निवासी ग्राम सुमराखेड़ा तेहसील तराना व्दारा आम मुख्त्यार सुनील कुमार पिता देवीसिंह जी जाति राजपूत रघुवंशी आयु 48 साल धंधा कृषि निवासी ग्राम सुमराखेड़ा तेहसील तराना जिला उज्जैन

2- सुनीलकुमार पिता देवीसिंह जी जाति राजपूत रघुवंशी आयु 48 वर्ष धंधा कृषि निवासी ग्राम सुमराखेड़ा - तेहसील तराना जिला उज्जैन ------- आवेदक गण

विरुद्ध

1- राजेन्द्रसिंह पिता लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत रघुवंशी आयु 57 साल निवासी 124 शिवाजी पार्क कालोनी देवास रोड़ उज्जैन

2- सुशीलाबाई विधवा मुकेश रघुवंशी जाति राजपूत आयु 44 साल धंधा ग्रहकार्य निवासी ग्राम सुमराखेड़ा तेहसील तराना जिला उज्जैन

3- शान्ताबाई विधवा सरदारसिंह जाति राजपूत आयु 70 वर्ष धंधा ग्रहकार्य निवासी ग्राम सुमराखेड़ा हाल मुकाम बिड़लाग्राम नागदा जक्शन जिला उज्जैन

4- सुधीर पिता सरदारसिंह रघुवंशी जाति राजपूत आयु 50 साल धंधा नोकरी निवासी बिरलाग्राम नागदा - जंक्शन जिला उज्जैन ------- अनावेदकगण

निगरानीवाद अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

आवेदक गण की ओर से यह निगरानी वाद अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तराना श्री शाश्वत जी मीणा व्दारा पारित आदेश क- अपील प्रकरण 20 । 17-18 आदेश दिनांक -

सुनीलकुमार

5-1-2018 मे पारित आदेश से असन्तुष्ट होकर यह निगरानी वाद प्रस्तुत है :-

प्रकरण का सार :-

यह कि विचाराधीन अपील 20 । 15-16 वर्तमान अपील नम्बर 20 । 17-18 मे पूर्व मे अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 9-6-16 को अपीलाण्ट का धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया था व आवेदक- का धारा 48 का आवेदन अस्वीकार किया था व दिनांक 10-6-16 को पुन: धारा 5 का - आवेदन स्वीकार किया व धारा 48 का आवेदन रिस्पो- आवेदक का - अस्वीकार किया जिसके सम्बन्ध मे माननीय न्यायालय मे पूर्व मे निगरानी वाद प्रस्तुत किया था जो प्र- क्र- निगरानी 1919 पीबीआर-। 16 रही है व उसमे माननीय न्यायालय व्दारा आदेश दिनांक 11-5-17 व्दारा यह - स्पष्ट आदेश दिया गया था कि अवधि विधान की धारा 5 मे सादा - का अवसर देते हुवे निराकरण किया जावे व धारा 48 के सम्बन्ध मे विधि अनुरुप आदेश पारित किया जावे पश्चात उक्त आदेश के पालन मे अधिनस्थ न्यायालय मे अपीलाण्ट अनावेदक 1 राजेन्द्रसिंह व्दारा अपने अवधि विधान के आवेदन के सम्बन्ध मे कोई सादा प्रस्तुत नही की गयी आवेदक रिस्पो- ने उक्त प्रकरण मे अपनी शपथ सादा प्रस्तुत की है व उस पर प्रतिपरीक्षण भी हुआ है व आवेदक की सादा अखण्डित रही है व अनावेदक 1 अपना - अपील प्रकरण अवधि मे होना प्रमाणित नही कर पाया है जबकि अनावेदक अपीलांण्ट राजेन्द्रसिंह ने अपने धारा 5 के आवेदन मे जानकारी 22-2-16 पटवारी ग्राम सुमराखेड़ा से होना बतायी है व इसके पूर्व 17-2-16 को अपीलाण्टअनावेदक राजेन्द्रसिंह ने समस्त नकलो के लिये आवेदन दिया है इससे यह स्पष्ट है कि अनावेदक अपीलाण्ट राजेन्द्रसिंह को आदेश की पूर्व से जानकारी रही है यह तथ्य होते हुवे भी पुन: अधिनस्थ न्यायालय मे पूरी बहस करने के बाद भी अपने आदेश 5-1-18 मे यह उल्लेख करके कि प्रक्रिया का त्रुटि के चलते पक्षकार को अवधि विधान की परिसीमा के - आधार पर न्यायदान से वंचित नही किया जा सकता है ऐसा लिखकर अवधि विधान का आवेदन स्वीकार किया है उसके विरुद्ध यह निगरानी

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/उज्जैन/भू.रा./2018/319

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री लखन सिंह धाकड़ उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २५-५-१९ को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	